Serial No. 4007 Circle:-:NA 1025 Book No. :- 4 Deed No. 18

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

Serial No. 4007

N 290524

Deed No. 18

Govt. of Bihar

Sub Registry Office ,Bikram

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **19/05/2018** by **Manoj Kumar**

A Stamp Duty of Rs. **5000/-** and other Fees of Rs. **2500/-** has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. **18** in Book No. **4**, Volume No. **1** on pages from **206** to **222** and has been preserved in total **17** pages in C.D. No. **1** / Year **2018**

Priyadarshan 19/5/18

Signature with Date

(Priyadarshan)

Registering Officer, **Bikram**

Date: 19/05/2018 Token No: 4094 /2018

BHR2018…

स्कॉल जाँचा

न्यास पत्र

यह न्यास पत्र आज दिनांक 19.05.2018 ई0 को स्थान– डिहरा, पो0–खजुरी, थाना– नौबतपुर, जिला– पटना (बिहार) के द्वारा श्री मनोज कुमार पिता– श्री मिथिलेश कुमार, ग्राम– डिहरा, पोस्ट– खजुरी, थाना– नौबतपुर जिला–पटना, (बिहार) संस्थापक है जो कि ट्रस्ट के संस्थापक/न्यासकर्त्ता सदस्य के नाम से जाने जाएंगे।

Sub District Registry Office,Bikram

oken Number 4094 | Reg. Year 2018 | Serial Number 4007 | Deed Number 1

resType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
rustee	Akhilesh Kumar						
ig.	अखिलेश कुमार ता 19.5.18						
rustee	Babby Kumari						
ig.	बब्बी कुमारी 19.5.18						
resented by	Manoj Kumar						
ig.	मनोज कुमार 19/5/18						
rustee	Manoj Kumar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ig.							
rustee	Manoj Kumar..						
ig.	मनोजकुमार 19-05-018						
rustee	Manoranjan Kumar						
ig.	मनोरंजन कुमार 19/05/18						
dentified by	Ramakant Sharma						
ig.	रामाकान्त शर्मा ता. 19-5-18						

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR N 290525

हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी सुख–शान्ति, संगठन, सदभाव, एवं विश्वास के साथ गुणों की स्थापना हेतू न्यास की स्थापना की जाए तथा उपर्युक्त उदेश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए। इसके निमित प्रारंभ मुद्रा -- 1,00,000 (एक लाख रुपया मात्र) प्रदान करते है जो कि मैं निष्पादनकर्त्ता आजीवन संस्थापक के रूप में कार्यरत रहेंगें।

1. न्यास का नाम :– मॉ शारदा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय :– ग्राम :– डिहरा
   पोस्ट :–खजुरी
   थाना:– नौबतपुर
   जिला :– पटना
   पिन कोड :–801109
   राज्य :– बिहार

3. न्यास का कार्यक्षेत्र :– न्यास का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा।

उपयुक्त समस्त न्यासी, न्यास के उदेश्य की पूर्ति के लिए संस्थापक/न्यासकर्त्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

न्यास का लक्ष्य एवं उदेश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिये होंगे और उसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणर्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसी कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो ।

4. न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्याः– न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेंगें।

5 न्यास का गठनः–

1. **श्री मनोज कुमार** पिता–श्री मिथिलेश कुमार ग्राम– डिहरा, पोस्ट– खजुरी, थाना– नौबतपुर, जिला–पटना, (बिहार) पेशा–प्राइवेट शिक्षक, पद–सचिव। मो0–8002574774
2. **सुश्री बब्बी कुमारी** पिता श्री शम्भूशरण सिंह ग्राम– कासीमचक, थाना– दुल्हिनबाजार, जिला–पटना, (बिहार) पेशा–प्राइवेट शिक्षक पद– ट्रस्टी/अध्यक्ष।
3. **श्री अखिलेश कुमार** पिता स्व0 साधूशरण सिंह ग्राम– डिहरा, पोस्ट– खजुरी, थाना– नौबतपुर, जिला–पटना, (बिहार) पेशा– प्राइवेट शिक्षक, पद– कोषाध्यक्ष।
4. **श्री मनोरंजन कुमार** पिता श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम– भेलुरा रामपुर, थाना– जानीपुर, जिला–पटना, (बिहार) पेशा– प्राइवेट शिक्षक, पद– ट्रस्टी।
5. **श्री मनोज कुमार** पिता रामलीला सिंह, ग्राम– गोविन्दपुर, पोस्ट– दतियाना, थाना– बिकम, जिला–पटना, (बिहार) पेशा– प्राइवेट शिक्षक, पद– ट्रस्टी।

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उददेश्यों को पूर्ति के लिए संस्थापक/न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

विक्रम

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होंगे और इसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जायेगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो।

मॉं शारदा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट का ज्ञापन

1. न्यास का नाम :– **मॉं शारदा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट**

2. न्यास का पंजीकृत कार्यलयः–ग्राम :– डिहरा

पोस्ट :–खजुरी
थानाः– नौबतपुर
जिला :– पटना
पिन कोड :–801109
राज्य :– बिहार

2. **ट्रस्ट का ध्येय एवं उदेश्य**

1. ट्रस्ट द्वारा आई0टी0आई0 (एन0सी0वी0टी0), पारा मेडिकल, प्रबंधन कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक होमियोपैथिक कॉलेज, बी0एड0 कॉलेज,अमीन (भू–मापक), नर्सिंग इन्स्टीच्यूट (ए0एन0एम0) पोलिटेकनिक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज का संचालन किया जायेगा।

2. ट्रस्ट द्वारा समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतू शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, आदि का संचालन किया जायेगा। जिससे मेघावी गरीब छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना।

3. ट्रस्ट द्वारा समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सास्कृतिक, नैतिक विकास हेतू विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।

3. ट्रस्ट द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतू टंकण कला, आशुलिपि, कम्पयूटर, इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल, एवं अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।

5. ट्रस्ट द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल–विवाह, वेश्यावृति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, सम्प्रदायवाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यकमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना। आदर्श विवाह एवं अर्न्तजातिय विवाह को प्रोत्साहित करना।

6. ट्रस्ट द्वारा प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यकमों का संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पिड़ित जन समुदाय को हर संभव सहयोग करना।

7. पर्यावरण को प्रदुषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यकमों का संचालन करना। पुल–पुलिया, रोड, नाला, ईट शोलिंग, का निर्माण एवं ग्रामिण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगो को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।

8. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना। नाटक,नृत्य, संगीत, वादक, का प्रशिक्षण देना।

9. ट्रस्ट द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतू अस्पताल, नर्सिग होम एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, टिकाकरण शिविर, एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना। असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0 बी0, कालाजार, हेपेटाईटिस, आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना।

10. ट्रस्ट द्वारा समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक विकास हेतू लघु उद्योग, कुटीर उद्योग गृह उद्योग, खादी ग्रामिण उद्योग, फल एवं खाद्य प्रसंकरण का प्रशिक्षण देना।

11. ट्रस्ट द्वारा उर्जा के संरक्षण हेतू बायो गैस प्लांट, सौर उर्जा, उर्जा के गैर पारंपरिक स्त्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

12. ट्रस्ट द्वारा पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना।

13. नेत्रहीन, मूक, बधिर, शारिरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसित, बच्चों, लोगों के शैक्षणिक विकास हेतू शिक्षण–प्रशिक्षण सह उत्पादक केन्द्र संचालन करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का संपादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।

14. ट्रस्ट द्वारा कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद्य, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जल संचयन, नलकुप, तलाब, पोखरा, आदि उपलब्ध करानां। औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

15. ट्रस्ट द्वारा बेसहारा पशुओं की समुचित देख–रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलानां।

16. ट्रस्ट द्वारा अनााथ बच्चों, वृद्धों विधवाओं, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यो का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना। बाल श्रमिकों के कलयाणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा भोजन, एवं पुर्नवास, सेवागृह की व्यवस्था करना।

17. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालना गृह, पौष्टिक अहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

18. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिंग मधुबनी पेन्टिग, एपलिक, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।

19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सदभावना, धर्मनिरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना जातिय भेद–भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।

20. ट्रस्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का निदान एवं स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

नियमावली

1. **परिभाषाएं**

क–	न्यास का नाम	:– मॉ शारदा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
ख–	न्यास का ट्रस्टी	:– संस्थापक / न्यासकर्त्ता मुख्य न्यासी होंगे।
ग–	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी	:– संस्थापक /न्यासकर्त्ता इस न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।

मनोज कुमार
20/03/18

घ– पदाधिकारी :– संस्थापक /न्यासकर्त्ता, ट्रस्टी न्यास के मुख्य पदाधिकारी होंगे।

ड़– प्रबंध समिति :– पदाधिकारी सहित ट्रस्टी अन्य सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य होंगे।

च– वर्ष :– 01 अप्रैल से 31 मार्च तक।

छ– एक्ट :– ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत।

मनोज कुमार
दा. 19/5/18

2. **सदस्यता**

ट्रस्ट की सदस्यता के लिए विहित आवेदन संस्थापक/न्यासकर्त्ता के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/न्यासकर्त्ता को अनुमति /स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। सदस्यता पॉच प्रकार के होगाः–

1. न्यासी सदस्य :– संस्थापक/न्यासकर्त्ता, ट्रस्टी
2. साधारण सदस्य– कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 500 रूपये जमा कर वे न्यास के साधारण सदस्य हो सकते है।
3. स्थाई सदस्य– कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में 1000/–रू0 अदा कर वे न्यास के स्थायी सदस्य हो सकते हैं।
4. संस्थापक सदस्य– कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे 2500/–रू0 अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते हैं।
5. संस्थापक सदस्य–जो सदस्य न्यास की स्थापना में सहायता किये हो और स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वे संस्थापक सदस्य कहे जायेंगे और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 5000/–रूपये जमा करने होंगे।

3. **सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति**

1. स्वयं त्यागपत्र देने पर।
2. दिवालिया या पागल होने पर।
3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।
4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण पर।

5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर संस्थापक द्वारा निष्कासित करने पर।
6. संस्थापक/ न्यासकर्त्ता द्वारा निष्कासित करने पर।

4. न्यास का प्रबंधन

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें पदाधिकारी सहित चार सदस्य होंगे। प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षो का होगा, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने पर संस्थापक/ न्यासकर्त्ता को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर ले।
विशेष परिस्थिति मे प्रबंध समिति में किसी रिक्त को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनित किये जायेंगे।
न्यास के उद्‌देश्यके पूर्ति हेतु न्यास के अधिकार निम्नलिखित होंगे:–

1. दान, चन्दा, अनुदान, ऋण, सदस्यता, शुल्क, सहयोग राशि, धन, सम्पति, व्यक्ति विशेष, संस्थान, स्वेच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम संचालित करना।
2. समय–समय पर न्यास के कोष/ निधि का उपयोग न्यास के उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु करना।
3. न्यास के सम्पति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/ डाकघर, एच0डी0एफ0सी0/आई0सी0आई0सी0आई0/मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।
4. न्यास के उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गॉधी फाउन्डेशन बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नवार्ड, कपार्ट, विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
5. न्यास के कोष/ निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जायेगा।
6. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/ अचल सम्पति किराये/ लीज/ पट्टे पर लेना एवं देना।

7. न्यास के नाम से बचत/ चालू/ आवर्ती/ अनावर्ती/ जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचालन संस्थापच/ न्यासकर्त्ता या उनके द्वारा अधिकृत हेतु बैंक/ डाकघर को सूचित करना।
8. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/ परामर्शदाता नियुक्त करना/ अधिकृत करना।
9. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्णकालिन/ अंशकालिन वैतनिक/अवैतनिक अधिकारिओ/लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।
10. न्यास के उदेश्य और नियमावली मे आवश्यकतानुसार संशोधन करना।
11. किसी अन्य न्यास /ट्रस्ट/संगठन/ संस्थान में सम्बद्ध होना, सम्बद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना।
12. न्यास का स्थानान्तरण/ हस्तानान्तरण करना या देना।
13. न्यास के सम्पति कोष/ निधि समान उद्देश्य वाले संस्थान/ स्वैच्छिक संगठन, न्यास/ ट्रस्ट को देना।
14. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ, राज्य/ जिला/ प्रखण्ड/ पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना।
15. न्यास के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना और वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर आय–व्यय लेख का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण की नियुक्ति करना।
16. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।
17. न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 5 होगी।
18. संस्थापन/ न्यासकर्त्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनित करने का अधिकार होगा। उनका कार्यकाल संस्थापन/न्यासकर्त्ता द्वारा तय किया जायेगा।
19. संस्थापन/ न्यासकर्त्ता को समय–समयपर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिये जायेंगे।

मनोज कुमार
दि: 19/5/18

5. **प्रबंध समिति का निर्वाचन:–**

प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक पॉच वर्षो पर होगा। प्रबंध समिति का गठन निबंधन के पश्चात निर्वाचन के आधार पर होगा।

6. **प्रबंध समिति का अधिकार:–**

तीन सदस्य संस्थापक सदस्य से निर्वाचन किए जाएगें। शेष तीन सदस्य साधारण सदस्य, संस्थापक सदस्य और स्थायी सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

7. **पदाधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य:–**

क. संस्थापक/ न्यासकर्त्ता

1. संस्थापक/ न्यासकर्त्ता के सर्वोच्च पदाधिकारी सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।
2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।
6. आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना या विवादग्रस्त परिस्थिति में संस्थापन/ न्यासकर्त्ता का निर्णय अन्तिम और सर्वामान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जायेगी।
7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
8. संस्थापक/न्यासकर्त्ता जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।
9. संस्थापन/न्यासकर्त्ता को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सके।
10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यास के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे एवं आयकर कार्यालय में 80 जी के अन्तर्गत पंजीकृत कराने तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।
11. न्यास के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।
12. न्यास की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सचिव के परामर्श से बैठकों के लिए एजेण्डा/कार्यक्रम बनाना।

13. न्यास के समस्त आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।
14. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/ प्रबंध समिति के समक्ष उपस्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश–विदेश में प्रतिनिधित्व करना।
15. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य सम्पादित कराना/ अनुपालन करना।
16. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।
17. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति की बिना पूर्व स्वीकृति के 10,000/–(दस हजार) रूपये तक खर्च करना।
18. राष्ट्रीय/ राज्य/जिला शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

8. कोष का संचालनः–

ट्रस्ट का खाता किसी मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन संस्थापक/न्यासकर्त्ता एवं किसी एक ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिसमें संस्थापक/ न्यासकर्त्ता का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

9. प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होंगेः–

(क) न्यास के सभी चल–अचल सम्पतियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।

(ख) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(ग) समान उदेश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, सम्बद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

(घ) जिला/अनुमंडल/ प्रखण्ड/ पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि आवंटन करना।

(ङ) प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगें।

(च) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(छ) किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।

(ज) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगें।

मनोज कुमार
दा: 19/5/18

10. प्रबंध समिति की बैठकः–

1. साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
2. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी।
3. बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति को कोरम माना जायेगा।
4. स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

मनोज कुमार
ह०: 19/5/18

11. मतदानः

साधारणस मतदान हाथ उठाकर खुलेआम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/ न्यासकर्त्ता द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

12. कार्यकालः–

पदाधिकारियों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ताकि उन्हें पुनः निर्वाचित होने में कोई नहीं रहेगी।

13. रिक्त पदों की पूर्तिः–

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिए संस्थापन/न्यासकर्त्ता किसी भी अन्य सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं।

14. आय का श्रोत :–

न्यास के आय के निम्नलिखित श्रोत होंगेः–

1.प्रवेश शुल्क

2.सदस्यता शुल्क।

3.आजीवन सदस्यता शुल्क।

4.दान एवं चन्दा।

5.अनुदान।

6.ऋण।

7.सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क।

निबंधन कार्यालय
विक्रम

विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से प्राप्त कर ली जायेगी। निबंधक जब चाहे न्यास का अंकेक्षण करा सकते हैं जिसका खर्च न्यास को वहन करना होगा।

15.**कोरमः–**

आम सभा / प्रबंध समिति की बैठक का कोरम सदस्य न्यास के 2/3 भाग का होगा।

16.**न्यास की स्मृति पत्र एवं नियमावली में संसोधनः–**

न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में समावेश एवं संशोधन मुख्य न्यासी द्वारा साधारण सभा की बैठक में उपस्थिति सदस्यों के समक्ष लिया जायेगा।

गवाह का हस्ताक्षर

ट्रस्टी का हस्ताक्षर

1 मनोज कुमार ता: 19/5/18
2 बब्बी कुमारी ता: 19/5/18
3. अखिलेश कुमार ता 19.5.18
4 मनोरंजन कुमार ता: 19/05/18
5. मनोज कुमार ता: 19/05/2018

तहरीर तारीखः– 19.05.2018 ई0

टंकक– सुभाष प्रसाद

सुभाष प्रसाद

अ0 नि0 का0 बिक्रम

प्रारूपकः–

N. Sinha 19.05.2018ई0

निर्मल कुमार सिन्हा
वसीका नवीस
ला0 नं0 112/02
अ0 नि0 का0 बिक्रम, पटना

अवर निबंधन कार्यालय बिक्रम

Endorsement of Certificate of Admissibility

...ssible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian ...np Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 5000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs.	6500/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	2000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	2000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	500
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - **2500**

Registering Officer
Bikram

Date: 19/05/2018

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bikram on Saturday, 19th May 2018 by Manoj Kumar S/O Mithilesh Kumar by profession Others. Status - Trustee

मनोज कुमार
19/5/18
Signature/L.T.I. of Presentant

Date:19/05/2018

Registering Officer
Bikram

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Ramakant Sharma' age '39' Sex 'M', 'S/O Bindeshwari Sharma', resident of 'Dihra Naubatpur Patna'), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Bikram

Date : 19/05/2018

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Bikram in Book 4 Volume No. 1 on pages on 206 - 222, for the year 2018 and stored in CD volume No. CD-1 year 2018 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Bikram

Date : 19/05/2018

oken No. : 4094 **Year : 2018** **S.No. ... 4007** **SCORE Ver.4.1** **Deed No ... No. : 18**

SCANNED